कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, तुलसीनगर भोपाल,म.प्र.

क्रमांक / F-1/FP/MP/ MIN/18959/2016/5172 भोपाल, दिनांक 08-10-24

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़,
नई दिल्ली–110003

विषयः– वन मंडल दक्षिण शहडोल के केशवाही परिक्षेत्र के ग्राम बेलिया व अतरिया के खसरा नम्बर 13/1, 14/1 व 826 रकबा 4.654 हे. राजस्व वनभूमि में रामपुर–बटुरा ओपन कास्ट कोयला खनिज उत्खनन के व्यपवर्तन का प्रस्ताव– मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/ MIN/18959/2016

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6–एमपीआर 005/2024–बीएचओ/आई/79817 दि. 14.08. 2024

–0–

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 14/08/2024 से निर्देशित किया गया है वन (संरक्षण एवं संवर्धन) 2023 नये दिशा–निर्देशों के अनुसार माईनिंग से संबंधित प्रस्ताव मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ही प्रोसेस किये जाते है तथा उपरोक्त प्रस्ताव पूर्व में दिये गये अनुमोदन का extension होना प्रतीत होता है इसलिये वर्तमान गाइड लाईन अनुसार विषयान्तर्गत प्रस्ताव को भारत सरकार, पर्या. वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्ताव वापस किया गया है।

अतः विषयान्तर्गत ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/ MIN/18959/2016 प्राप्त अनुमति प्रदान करने हेतु आपकी ओर आगामी कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1. भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना का.आ. 194(अ.) दिनांक 23 जुलाई 2015 से मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर व शहडोल के ग्राम रामपुर, बेलिया, अतरिया, खैरबना, कोदैली के कुल रकबा 734.917 हेक्टेयर भूमि कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अधीन साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पक्ष में अधिसूचित की गई है। जिसमें से केवल 4.654 हे. भूमि, राजस्व वनभूमि है एवं शेष रकबा 730.263 हेक्टेयर भूमि अन्य गैरवनभूमि है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

2. मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा वन मंडल दक्षिण शहडोल के केशवाही परिक्षेत्र के निम्न खसरों के रकबा 4.654 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि में कोयला खनिज ओपन कास्ट पद्धति उत्खनन व्यपवर्तन का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/ MP/ MIN/ 18959/ 2016 प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

(i) राजस्व वन भूमि :–

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा (हे. में)
दक्षिण शहडोल	केशवाही	बेलिया	13/1	1.748
		बेलिया	14/1	1.049
		अतरिया	826	1.857
			योग–	**4.654**

(ii) राजस्व वनभूमि के उपयोग का विवरण :–

S.No.	Particulars	Area (in Ha.)
1	Mining work	4.654
	Total-	**4.654**

3. प्रस्तावित परियोजना में वनभूमि से प्रभावित होने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या शून्य है।
4. आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तावित परियोजना रकबा 4.654 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि का कास्ट बेनिफिट एनालिसिस पत्रक प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तुत किया गया है।
5. आवेदक संस्था द्वारा रकबा रकबा 4.654 हे0 राजस्व वनभूमि को सर्वे ऑफ इण्डिया के टोपोशीट 1:50,000 स्केल के मानचित्र में दर्शाकर मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तुत किया गया है।
6. आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तावित राजस्व वनभूमि को जियो रिफरेंस मानचित्र में दर्शाकर उसके अक्षांश एवं देशांशान्तर की रीडिंग मानचित्र में अंकित कर मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तुत किया गया है।
7. आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तावित राजस्व वनभूमि की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया गया है।
8. आवेदक संस्था द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित कलेक्टर को दिये गये आवेदन पत्र की प्रति प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तुत की गई है जो संलग्न है।
9. आवेदक संस्था द्वारा रामपुर–बटूरा ब्लॉक रकबा 4.654 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि का अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तुत किया गया है जो संलग्न है।
10. माईनिंग प्लान को कम्पनी सचिव, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स कोलकत्ता द्वारा पत्र क्रमांक CIL:XI(D):04112:2019:23372 दिनांक 14.08.2019 से अनुमोदित किया गया है जिसकी प्रति प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तुत है।
11. प्रस्तावित रकबा 4.654 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि Eco Class 4 श्रेणी का वनक्षेत्र है जिसका वन घनत्व 0.4 तक है।
12. प्रस्तावित रकबा 4.654 हे. राजस्व वनभूमि में पलाश, हर्रा, बेहडा, बैल, अर्जुन, महुआ, बैर, कसही, नीलगिरी, आम, तेन्दू, बरगद, गघरीमा, गुंजा, पडरी, सेंधा आदि के कुल 152 वृक्ष विद्यमान है। वृक्षों के गोलाईवार जानकारी भाग–2 के अनु.क्र.– 4(ii) में इन्द्राज है।
13. प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।
14. प्रस्तावित राजस्व वनभूमि में मुख्य रूप से वन्यप्राणी चीतल, जंगली, सुअर, लोमड़ी, सियार एवं बन्दर यदा–कदा पाये जाते है।
15. प्रस्तावित वनभूमि राष्ट्रीय/उद्यान एवं राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य/बायोस्फियर रिजर्व/बाघ रिर्जव/हाथी कॉरीडोर/वन्यप्राणी माइग्रेशन कॉरीडोर में नहीं आता है।
16. प्रस्तावित वनभूमि राष्ट्रीय/उद्यान एवं राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य/बायोस्फियर रिजर्व/बाघ रिर्जव/हाथी कॉरीडोर/वन्यप्राणी माइग्रेशन कॉरीडोर की सीमा से 10 किलो मीटर की परिधि में नहीं आता है।
17. प्रस्तावित वनभूमि में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती है।

18. प्रस्तावित वन क्षेत्र के अंतर्गत कोई पारम्परिक स्थल/ऐतिहासिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान नहीं है।

19. वन मंडल अधिकारी, दक्षिण शहडोल द्वारा प्रस्तावित परियोजना रकबा 4.654 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि के एवज में प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory afforesatation) हेतु जिला शहडोल, तहसील जैतपुर ग्राम जमुडी के आर.एफ.–1042 के रकबा 9.308 हेक्टेयर दूगने बिगड़े वनभूमि की 11 वर्षीय प्रतिपूरक वनीकरण योजना तकनीकी स्वीकृति सहित तैयार कर संलग्न प्रस्तुत की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0	वनमण्डल का नाम	ग्राम	वन कक्ष क्रमांक	रोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. वनभूमि में)	अनुमानित व्यय राशि रू0
1	दक्षिण शहडोल	जमुड़ी	आर.एफ.–1042	9.308	80,13,716
			योग–	**9.308**	**80,13,716**

20. वन मंडल अधिकारी, दक्षिण शहडोल द्वारा प्रस्तावित रकबा 4.654 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि का दिनांक 13.06.2024 का किये गये स्थल निरीक्षण का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तुत किया गया है।

21. वन मंडल अधिकारी, दक्षिण शहडोल द्वारा प्रस्ताव के भाग–2 में प्रस्तावित रकबा 4.654 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को कोयला उत्खनन हेतु उपयोग पर देने की अनुशंसा की गई है।

22. मुख्य वन संरक्षक, शहडोल द्वारा भाग–3 में वन मंडल अधिकारी, दक्षिण शहडोल द्वारा की गई अनुशंसा से सहमत हाते हुये प्रस्ताव स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

23. नोडल अधिकारी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा वन मंडल अधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा से सहमत होते हुये प्रस्तावित रकबा 4.654 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि मेसर्स साउर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को उपयोग पर देने की अनुशंसा की गई है।

24. म0प्र0 शासन, वन विभाग द्वारा भी प्रस्तावित रकबा 4.654 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि मेसर्स साउर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को कोयला उत्खनन हेतु उपयोग पर देने की अनुशंसा की गई है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव संलग्न प्रेषित कर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

07.10.24

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/ F-1/FP/MP/ MIN/18959/2016/5173 भोपाल, दिनांक 08/10/24

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त शहडोल, मध्य प्रदेश।
1 वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल, दक्षिण शहडोल, मध्यप्रदेश।
2 महाप्रबंधक, साउर्थ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सोहागपुर क्षेत्र, पोस्ट धनपुरी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

07.10.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल